रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937
No. 2405] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

का.आ. 3011(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को दिनांक 5.5.2015 की अधिसूचना का.आ. 1177 (अ) के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया है:

(i) एन एस सी एन (के) द्वारा दिनांक 27.03.2015 को एक तरफा युद्ध विराम किए जाने के बाद तिरप, लांगडिंग एवं चांगलांग जिले अशांत रहे;

(ii) एन एस सी एन (के) लांगडिंग जिले के हिस्सों में अपनी पैठ जमाने में सफल रहा है और नवगठित एन एस सी एन (आर) अब तक एन एस सी एन (आई/एम) एवं एन एस सी एन (के) के प्रभुत्व में रहे क्षत्रों में रणनीतिक स्थानों पर अपने काडरों को तैनात करके अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है;

(iii) नागा भूमिगत गुट इन क्षेत्रों में विशेषकर सुरक्षा बलों को लक्षित करके व्यापक स्तर पर जबरन धनवसूली, अपहरण एवं हिंसा में लिप्त हैं;

(iv) नागा भूमिगत गुटों के अलावा, असम स्थित गुट विशेषकर उल्फा (आई) और एन डी एफ बी (एस) असम-अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचालित कर रहे हैं और इन क्षेत्रों का उपयोग सुरक्षा बलों के विद्रोह-रोधी प्रचालनों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों के रूप में कर रहे हैं;

(v) हाल में, यू एल एफ ए (आई), एन एस सी एन (के), के एल ओ एवं एन डी एफ एस (एस) को मिलाकर 'यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया' गठित किया गया है तथा इसके घटक

असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग म्यांमार में/से घुसपैठ करने के लिए पारेषण मार्ग के रूप में करते हैं।

(vi) अंतर राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों, जो विरल रूप से बसे हैं और जहां कठिन एवं घने वन एवं पर्वतीय भू-भाग का विशाल क्षेत्र है, में उल्फा (आई), एन डी एफ बी (एस), यू पी एल एफ, जी एन एल ए, के पी एल टी, यू ए एल ए, एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), एन एल सी टी एवं और ए ए एन एल ए सहित विभिन्न विद्रोही समूहों रहते हैं।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तिरप, चांगलांग एवं लागडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 4.11.2015 के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:—

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFARIS

NOTIFICTION

New Delhi, the 5th November, 2015

S.O. 3011(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1177(E) dated 5.5.2015.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, indicate the following:—

(i) After unilateral abrogation of ceasefire on 27.3.2015 by NSCN(K) the security scenario in Tirap, Longding and Changlong districts remains vitiated;

(ii) NSCN(KK) has managed to gain a foothold in parts of Longding district and the newly formed NSCN(R) is aiming to make inroads by positioning its cadres at strategic locations in areas which were hitherto dominated by NSCN(I/M) and NSCN(K);

IndiaCode

(iii) Naga UG factions continue to indulge in rampant extortion, abductions and violence and particularly targeting Security Forces in these areas;

(iv) Besides the Naga UG factions, Assam based outfits, particularly ULFA(I) and NDFB(S), have been operating in areas along Assam-Arunachal boundary and using it as safe havens for escaping counter insurgency operations by the Security Forces;

(v) Recently, 'United National Liberation Front of Western South East Asia' (UNLFW), comprising ULFA(I), NSCN(K), KLO and NDFS(S), has been formed and its constituents use the areas along Assam-Arunachal boundary as a transit route for infiltrating to/from Myanmar.

Now, therefore, the whole of Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/outpost in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months beyond 4.11.2015, unless withdrawn earlier:-

(i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare dictrict;

(ii) Likabali police station in West Siang district;

(iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;

(iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(v) Seijosa police station in East Kameng district;

(vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;

(vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(viii) Sunpura police station in Lohit district; and

(ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.